भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 774
जिसका उत्तर बुधवार,07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

न्यायपालिका में पारदर्शिता

774. श्री तेज प्रताप सिंह यादव :

श्रीमती अंजूबाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मौजूद वर्तमान न्याय व्यवस्था में विशेषकर न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु लम्बे समय से लम्बित प्रक्रिया समझौता (एमओपी) के परिणामस्वरूप न्यायपालिका में बड़ी संख्या में रिक्तियां हो गई हैं जिससे न्याय प्रदान करने की प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्रक्रिया समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है;और

(घ) देश की न्याय प्रणाली में मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय 'कालेजियम प्रणाली' में सुधार के लिए रिट याचिका (सिविल) संख्या 2015 का 13 में दिए गए तारीख 16.12.2015 के आदेश द्वारा, सरकार को कारकों जैसे कि पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों से व्यवहार करने के लिए यंत्रक्रिया को हिसाब में लेते हुए उच्चतम न्यायालय कालेजियम के साथ परामर्श करके विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अनुपूरक करके अंतिम रुप देने का निदेश दिया था । भारत सरकार ने सम्यक विचार के पश्चात् विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन में परिवर्तन प्रस्तावित किए थे और प्रारुप प्रक्रिया ज्ञापन, तारीख 22 मार्च, 2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा गया था । उस पर, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति का उत्तर तारीख 25 मई, 2016 और 1 जुलाई 2017 को प्राप्त हुआ था । सरकार का दृष्टिकोण तारीख 3 अगस्त, 2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सूचित कर दिया गया था । उच्चतम न्यायालय के कालेजियम के प्रक्रिया ज्ञापन पर इनपुट तारीख 13 मार्च, 2017 के पत्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से प्राप्त हुए थे ।

इस दौरान, एक अन्य निर्णय तारीख 4 जुलाई, 2017 में उच्चतम न्यायालय ने कलकता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध 'स्वप्रेरणा से' अवमानना कार्यवाही में संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को पुन: देखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है । भारत

सरकार ने तारीख 11 जुलाई, 2017 के पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के महासचिव को प्रारुप प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार करने की आवश्यकता सूचित की है।

चूंकि विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) की अनुपूरकता को अंतिम रुप दिए जाने में समय लगने की संभावना थी, सरकार की पहल पर, नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसरण में जारी है।

वर्ष 2016 के दौरान, उच्चतम न्यायालय में चार न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के 14 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों मे 126 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जो कि किसी कलैंडर वर्ष की अधिकतम संख्या है। वर्ष 2017 के दौरान, उच्चतम न्यायालयों में पांच न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों में 8 मुख्य न्यायमूर्तियों और उच्च न्यायालयों में 115 नए न्यायधीशों की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2018 के दौरान, तारीख 1 फरवरी, 2018 तक उच्च न्यायालयों में 3 नए न्यायाधीशों तक नियुक्ति की गई है।

न्यायपालिका जिन प्रवर्तमान चुनौतियों का सामना कर रही है, उन्हें वृहद रुप से न्यायपालिका द्वारा संबोधित किया जाना है क्योंकि यह भारत के संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग है। सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और उसके कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

****